

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 28()पंसावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/2246 जयपुर,दिनांक: 18.5.18

:: आ दे रा ::

राजस्थान अधिनस्थ सेवा के श्री भगवती लाल भट्ट, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शारीरिक एवं पारीवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 31.08.2018 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। श्री भट्ट की जन्मतिथि 10.01.1961 है एवं उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.10.1984 है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री भगवती लाल भट्ट, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.08.2018 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री भगवती लाल भट्ट के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,



(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को उनके पत्र क्रमांक 323 दिनांक 10.04.2018 के क्रम में।
4. विकास अधिकारी, पं.स. चित्तौड़गढ़
5. श्री भगवती लाल भट्ट, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़
- ✓ 6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली



संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त